भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
https://prgi.gov.in/
*****

दिनांक: 31.07.2026

वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 19

विषय: प्रेस सेवा पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक विवरण के ई-फाइलिंग की अन्तिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में

प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (पीआरपी) 2023 के उपबंधों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय द्वारा दिनांक 22.05.2026 को जारी वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 10 के अनुक्रम में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तिथि **31 अगस्त,2026** तक बढ़ा दी गई है।

2. यह विस्तार प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 की **धारा 12(1)** के उपबंधों के अनुसार, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 के नियम 9 के साथ पठित, प्रदान किया गया है, जो प्रस्तुतिकरण की समय-सीमा को विनियमित करता है तथा विशेष परिस्थितियों में फाइलिंग विंडो को विनियमित करने या समय सीमा में विस्तार करने के लिए प्रेस महापंजीयक को प्राधिकार प्रदान करता है।

3. सभी प्रकाशकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल (www.presssewaportal.gov.in)में लॉग-इन करके केवल ऑनलाइन माध्यम से वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। **कृपया ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भौतिक प्रस्तुतीकरण, डाक या ऑफलाइन संवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ई-फाइलिंग के बाद किसी संशोधन की अनुमति नहीं होगी।**

विस्तारित अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026

4. प्रकाशकों को गंभीरतापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे इस विस्तारित अवधि के भीतर पूर्ण और सही सूचना का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें। अपूर्ण/गलत सूचना प्रस्तुत करना, या विहित समय के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में पूरी तरह चूक होने पर, पीआरपी अधिनियम, 2023 के सुसंगत दंडात्मक उपबंधों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रकाशन की रजिस्ट्रीकरण स्थिति के लिए संभावित जोखिम भी शामिल है।

5.किसी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में या अन्य स्पष्टीकरण के लिए, सहायता डेस्क 011-24320025 पर या **it-helpdesk.rni@qov.in पर ई-मेल** के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

इसे भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रतनाकर पामुला)
उप प्रेस महापंजीयक